-प्रेस नोट-

दिनांकः 23.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 12.04.2025 वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 153/2025 धारा 65(1),137(2) बीएनएस व 4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम बनाम अभियुक्त मोहित कुमार पूरण सिंह निवासी बादलपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर व अन्य के पंजीकृत किया गया था। विवेचना से 1. विशाल पुत्र सतीश कुमार निवासी मानकपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर व 2. गगन पुत्र मेनपाल निवासी सकलापुरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर के नाम प्रकाश में आये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में महिला संबन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित/प्रकाश में आये **अभियुक्त गगन पुत्र मेनपाल निवासी सकलापुरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को बेहट अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस को धारा 70(1) बीएनएस मे तरमीम किया गया एवं धारा 351(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी एवं दिनांक 19.04.2025 को अभियुक्त मोहित कुमार पूरण सिंह निवासी बादलपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

गगन पुत्र मेनपाल निवासी सकलापुरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 1460 अंकित पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 23.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 NBW वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर-द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी सत्येन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त वारन्टी अमरपाल पुत्र हरनाम सिंह निवासी ग्राम मोहिद्दीनपुर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 4080/24 मु0अ0सं0- 276/2013 धारा 279,427,304(ए) भा0 द0 वि0 चालानी थाना सरसावा सहारनपुर को ग्राम मोहिद्दीनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमरपाल पुत्र हरनाम सिंह निवासी ग्राम मोहिद्दीनपुर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिहं थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0का0 735 सूरज कुमार थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. पीआरडी दादईलाही थाना जनकपुरी सहारनपुर।

दिनांक 23.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में नशा तस्करी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपाराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा ASP/थाना प्रभारी श्री विवेक तिवारी के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर नशा तस्कर **अभियुक्त अफजाल पुत्र रशीद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को ग्राम पांजबांगर को जाने वाले खडंजे पर स्थित आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 86/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर बताया कि मैं कम पढा-लिखा हूँ तथा मजदूरी का काम करता हूँ, पैसो के लालच में हरियाणा तथा नजदीकी जनपद से सस्ते दामों पर स्मैक खरीद कर आसपास के क्षेत्रों में ट्रक ड्राईबर तथा अन्य स्मैक पीने वालो को अधिक दामों में स्मैक बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

अफजाल पुत्र रशीद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

बरामदगी:-

- 10 ग्राम नाजायज स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1.उ0नि0श्री संजीव कुमार यादव थाना चिलकाना सहारनपुर।

2.है0का0 378 तरूण कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

3.का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः 23.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.04.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त लालचन्द पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम आत्तेपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 1846/22 व मु0अ0सं0 151/11 धारा 324/323/504/506 भा.द.वि चालानी थाना नानौता में ग्राम आत्तेपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

लालचन्द पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम आत्तेपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री सचिन पूनिया थानाध्यक्ष थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 335 गौरव कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक – 23.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा ट्यूबवेलो से विद्युत उपकरण चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 01 विद्युत मोटर, 05 किलोग्राम तांबे के तार व 3050/- रुपये नकद, मोटर खोलने के उपकरण व चोरी की घटनाओ मे प्रयुक्त टैम्पो बरामद

अवगत कराना है कि **दिनांक 28.11.2024 को वादी श्री अरुण कुमार** पुत्र महीराम निवासी ग्राम भिक्कनपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा ट्यूबवैल से बिजली की मोटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 359/24 धारा 303(2) बीएनएस, **दिनांक 05.01.2025 को वादी श्री प्रेम सिंह** पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम कांजीबांस थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा ट्यूबवैल से बिजली की मोटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 03/25 धारा 303(2) बीएनएस, **दिनांक 22.03.2025 को वादी श्री भूपेश कुमार** पुत्र बलजीत सिंह निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा ट्यूबवैल से बिजली की मोटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 98/25 धारा 303(2) बीएऩएस तथा **दिनांक 07.04.2025 को वादी श्री इकबाल** पुत्र यासीन निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी की ट्यूबवैल से तीन सोलर पैनल चोरी करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 113/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/चोर/लुटेरे अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व मे आज दिनांक 23.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमों में विद्युत उपकरणो की चोरी की घटनाओ का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोर **अभियुक्तगण 1. शुभम पुत्र स्व0 अजय निवासी मौहल्ला दुर्गा कालोनी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर, 2. नमन पुत्र स्व0 अजय निवासी मौहल्ला दुर्गा कालोनी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर व 3. दानिश पुत्र सुलेमान निवासी मौहल्ला मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को नकुड सरसावा मार्ग पर हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर बिजली की मोटर मय पंखा व 05 किलोग्राम ताम्बे का तार, 01 सब्बल, 02 पाना चाबी, 3120/- रूपये नकद व 01 थ्री व्हीलर टैम्पो (घटना मे प्रयुक्त नं0 UP11BT 3875) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमो में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो तीनो अभियुक्तो ने एक स्वर में बताया कि हम तीनो नशे के आदी है हम चोरी करके सामान को जंगल में छुपा देते है तथा मौका देखकर मोटरो के सामान व तार को अलग अलग करके थोडा थोडा करके चलते फिरते कबाडियो को बेच देते है। मोटरो के सामन को इसलिये अलग अलग करके बेचते है ताकि किसी को हम पर शक ना हो। चोरी किये गये बिजली मोटरो के सामान को बेचने से जो पैसे हम तीनो को मिलते है। हम आपस में बराबर बांट लेते है जिनसे हम तीनो का नशा करने एंव खाने पीने का खर्च चल जाता

है। सर्दियो में हम तीनो ने जो बिजली के मोटर टयूबवैलो से चोरी किये थे उनको बेचकर जो पैसे मिले थे वो हमसे खर्च हो गयी है। ग्राम असदपुर के जंगल से तीन सोलर प्लेट चोरी की था उन सोलर प्लेटो को हम लोगो को 9 हजार रुपये मे एक चलते फिरते कबाडी को बेच दिया था। उन प्लेटो को बेचकर जो रूपये हमारे हिस्से में आये थे उन्ही रूपयो में से बचे हुए 3120/- रुपये है। बाकी हम लोगो ने नशा करने व खाने पीने पर खर्च कर दिये।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त

1. शुभम पुत्र स्व0 अजय निवासी मौ0 दुर्गा कालोनी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. नमन पुत्र स्व0 अजय निवासी मौ0 दुर्गा कालोनी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. दानिश पुत्र सुलेमान निवासी मौ0 मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 बिजली की मोटर मय पंखा
- 05 किलोग्राम ताम्बे का तार
- 01 सब्बल व 02 पाना चाबी
- 3120/- रूपये नकद
- 01 थ्री व्हीलर टैम्पो (घटना मे प्रयुक्त नं0 UP11BT 3875)

अभियुक्त शुभम उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 113/22 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 359/24 धारा 303(2) बीएऩएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 03/25 धारा 303(2) बीएऩएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 98/25 धारा 303(2) बीएऩएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 113/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त नमन उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 18/22 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 19/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 333/22 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 359/24 धारा 303(2) बीएऩएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 03/25 धारा 303(2) बीएऩएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 98/25 धारा 303(2) बीएऩएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 113/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त दानिश उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 170/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 359/24 धारा 303(2) बीएऩएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 03/25 धारा 303(2) बीएऩएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 98/25 धारा 303(2) बीएऩएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 113/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री महेश सिहं थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 894 अंकित तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 2551 विक्रम कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. का0 2249 काशीराम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
7. का0 2504 रवि पिप्पल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक: 23.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.10.2024 वादी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई की पुत्री को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 388/2024 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। विवेचना से 1. सुधीर पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम सिंहपुरा कस्बा व थाना छछरौली यमुना नगर हरियाणा 2. साहिल पुत्र प्रवीण कुमार निवासी थाना व कस्बा छछरौली जनपद यमुनानगर हरियाणा 3. सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी सिंहपुरा थाना छछरौली यमुनानगर हरियाणा 4. संजीव पुत्र राजेश नि0 म0नं0 1612 ऑल्ड बहादुर चन्द कालोनी नियर गिरडी थाना करनाल सिटी जनपद करनाल हरियाणा के नाम प्रकाश मे आये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला संबन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त **सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी सिंहपुरा थाना छछरौली यमुनानगर हरियाणा को** ग्राम सिंहपुरा (छछरौली) यमुनानगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

मुकदमा उपरोक्त में धारा 70(1)/87/137(2) बीएनएस व धारा 3/4(2) पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी एवं दिनांक 07.11.2024 को अभियुक्तगण 1. सुधीर पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम सिंहपुरा कस्बा व थाना छछरौली यमुना नगर हरियाणा 2. साहिल पुत्र प्रवीण कुमार निवासी थाना व कस्बा छछरौली जनपद यमुनानगर हरियाणा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी सिंहपुरा थाना छछरौली यमुनानगर हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 1460 अंकित पंवार अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांक 23.04.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर वाहन चोर/**अभियुक्त मौहम्मद कैफ पुत्र इस्तियाक निवासी न्यू ऐरा स्कूल के पास, अजीम कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को हौजखेडी चौराहा से करीब 30 कदम आगे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल रजि0 न0 RJ 05 Q 7091 बरामद। उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना कठूमर जनपद अलवर (राजस्थान) पर मु0अ0स0 13/25 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 113/2025 धारा 317(2)/336 बीएनएस बनाम अभियुक्त मौहम्मद कैफ व 03 अन्य के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरणः- अभियुक्त मौहम्मद कैफ उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै नशे का आदी हूँ। यह मोटरसाईकिल मैने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पिछले साल दिसम्बर के महीने में राजस्थान से चोरी की थी। मैं अपने साथियों के साथ मिलकर मोटर साईकिल चोरी करता हूँ। चोरी की गयी मोटर साईकिलो को बेचकर जो पैसे मिलते है उन पैसो को आपस मे बराबर बराबर बांट लेते है और नशा कर लेते है तथा हम लोग चोरी की गयी मो0सा0 की पहचान छिपाने के लिये इनकी नम्बर प्लेट बदल देते है और जो चोरी की मोटरसाइकिल मेरे पास से मिली है, उसकी नम्बर प्लेट हम लोगो ने बदल दी थी। मैं आज मोटरसाईकिल को बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मौहम्मद कैफ पुत्र इस्तियाक निवासी न्यू ऐरा स्कूल के पास,अजीम कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 चोरी की मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स रजि0 नं0 RJ 05 Q 7091
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट रजि0 नं0 UP 11 CM 5669

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिहं थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. हैड का0 31 सुभाष चन्द थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. हैड का0 388 कपिल तोमर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक – 23.04.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा नशा तस्करी के मामले में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 13.05.2020 को वादी उ0नि0 श्री दीपचन्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्त सलमान पुत्र इनाम नि0 गन्देवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर के कब्जे से 220 ग्राम चरस बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-249/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-536/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 23.04.2025 को सलमान पुत्र इनाम उपरोक्त को मु0अ0स0 249/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उपनिरीक्षक श्री पुष्पेन्द्र कुमार
पैरोकार का0- 378 बिजेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर।